संख्याः 122 जी आई / 33–3–2016–89 / 2016

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः: दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय– दिनांक 14–24 अप्रैल, 2016 के मध्य राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर "ग्राम उदय से भारत उदय अभियान" के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्याः जे–11011 / 1 / 2016–मीडिया 23 मार्च, 2016 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष दिनांक 24 अप्रैल को मनाये जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत दिवस को दिनांक 14–24 अप्रैल, 2016 के मध्य सभी ग्राम सभाओं में मनाये जाने की अपेक्षा की गयी है। दिनांक 14–24 अप्रैल के मध्य मनाये जाने वाले कार्यक्रम को "ग्राम उदय से भारत उदय अभियान" का नाम दिया गया है जो 14 अप्रैल, 2016 को डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जयन्ती दिवस से आरम्भ होकर 24 अप्रैल, 2016 को समाप्त होगा।

2– ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का उद्देश्य प्रदेश के समस्त ग्रामों में सामाजिक समरसता लाना, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना, ग्राम विकास और किसानों के हितों को बढ़ावा देना है। अभियान के दौरान सभी ग्राम पंचायतों में विभिन्न गतिविधियों / कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। यह अभियान निम्नानुसार तीन भागों में विभक्त किया गया है :–

(1) सामाजिक समरसता के कार्यक्रमों का आयोजन– 14 से 16 अप्रैल, 2016

डॉ0 भीम राव अम्बेडकर की 125वीं वर्षगांठ पर सभी ग्राम पंचायतों द्वारा उन्हें श्रद्धॉजलि दी जायेगी जिसमें दलित समुदाय सहित समस्त समुदाय के ग्रामवासियों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जायेगी। उक्त दिवस पर डॉ0 अम्बेडकर के चित्र का माल्यार्पण करते हुए ग्रामीणजन ग्राम में सामाजिक समरसता की शपथ लेते हुए उसे मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में डॉ0 भीम राव अम्बेडकर के जीवन और राष्ट्रीय एकता पर उनके विचारों पर चर्चा हो और डॉ0 भीम राव अम्बेडकर से संबधित साहित्य का वितरण हो। इस दिन सामाजिक समानता को बढ़ावा देने वाली सरकारी योजनाओं की जानकारी समस्त ग्रामवासियों को दी जायेगी। डॉ0 भीम राव अम्बेडकर के जीवन पर प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा सकता है। कार्यकम के आयोजन के लिये समस्त व्यवस्थायें स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से की जायेगी।

(2) <u>ग्राम किसान सभा का आयोजन– 17 से 20 अप्रैल, 2016</u>

प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्त चार दिवसों में किसानों के साथ बैठकों का आयोजन कर कृषि विभाग की खेती से जुड़ी योजनाओं के विषय में किसानों को जानकारी दी जाये। खेती को बेहतर करने के उपायों पर किसानों से सुझाव भी आमंत्रित किये जा सकते है।

(3) <u>ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन– 21 से 24 अप्रैल, 2016</u>

राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाने के लिए दिनांक 21 से 24 अप्रैल, 2016 के मध्य किसी भी एक दिन ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया जाये। ग्राम सभा के दौरान निम्नलिखित विषयों पर चर्चा और कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है:–

(क)

- गाँव में प्रभात फेरी।
- स्वच्छता कार्यक्रम पर चर्चा।
- सांस्कृतिक कार्यक्रम।
- ग्रामीण खेल–कूद से जुड़े कार्यक्रम।

ग्राम सभा में निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की जा सकती है:–

- स्थानीय आर्थिक विकास हेतु ग्राम पंचायत विकास योजना।
- पंचायतों द्वारा बजट/धनराशि का उचित उपभोग।
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता।
- ग्रामीण विकास में महिलाओं की भूमिका।

ग्राम सभा में निम्नलिखित महत्वपूर्ण सरकारी योजनायें की जानकारी दी जा सकती है:–

- स्वच्छ भारत मिशन।
- चौहदवां वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त।
- पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना।
- महात्मा गाँधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)।
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई.)।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना।
- अटल पेंशन योजना।
- प्रधानमंत्री जन–धन योजना।
- सुकन्या योजना।
- बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना।
- स्कूल चलें हम (सर्व शिक्षा अभियान)।
- आम आदमी बीमा योजना।
- स्वास्थ्य बीमा योजना।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना।
- कौशल विकास कार्यक्रम।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
- प्रधानमंत्री खेती सिंचाई योजना।

(ख) उक्त योजनाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित निम्न योजनाओं की भी जानकारी उपलब्ध करायी जाय:–

- समाजवादी पेंशन योजना
- लोहिया ग्रामीण आवास योजना
- निःशुल्क लैपटॉप वितरण योजना
- संशोधित कन्या विद्या धन योजना
- कामधेनु डेयरी/मिनी कामधेनु डेयरी/माइको कामधेनु डेयरी योजना
- कृषक दुर्घटना बीमा योजना
- '102' नेशनल एम्बुलेंस सर्विस
- स्वास्थ्य/जननी सुरक्षा योजना
- निराश्रित महिला पेंशन
- किसान/वृद्धावस्था पेंशन
- विकलांग पेंशन
- डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना
- जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना
- समाजवादी श्रवण यात्रा योजना
- कब्रिस्तान एवं अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा हेतु चाहर दिवारी का निर्माण
- वुमेन पावर लाईन "1090"
- राज्य वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त
- रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार योजना
- पंचायत भवन।

राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर स्थानीय जन–प्रतिनिधि जैसे विधायक ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारी एवं कर्मी किसी भी एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में प्रतिभाग करें और ग्राम सभा में होने वाली चर्चा को सही दिशा में ले जाने में सहायक हों। उक्त गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इन कार्यक्रमों में सहभागी हो सकें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा का दस्तावेजीकरण (विडियो/रिपोर्ट) किया जाये, उसकी एक प्रति जनपद को उपलब्ध करायी जाये तथा जनपद द्वारा प्राप्त प्रतियों में से कुछ चुनी हुई प्रतियों को निदेशालय, पंचायती राज को उपलब्ध करायी जाये।

3— उक्त कार्यक्रम के सफल आयोजन में विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय सुनिश्चित करने एवं सम्पूर्ण अभियान की योजना बनाने तथा प्रगति के अनुश्रवण हेतु राज्य और जिला स्तर पर निम्नवत् समितियों का गठन किया जाता है:

(1)राज्य स्तरीय समिति—

क्रम0 सं0	नाम / पदनाम	विभाग / सम्पर्क सूत्र	समिति में स्तर
1	मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन	—	अध्यक्ष
2	कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन	—	उपाध्यक्ष
3	प्रमुख सचिव	पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव
4.	प्रमुख सचिव	कृषि विभाग	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव	नियोजन विभाग	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव	वित्त विभाग	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव	महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव	समाज कल्याण विभाग	सदस्य
9.	प्रमुख सचिव	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य
10.	प्रमुख सचिव	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	सदस्य
11.	प्रमुख सचिव	चिकित्सा शिक्षा विभाग	सदस्य
12	प्रमुख सचिव	बेसिक शिक्षा विभाग	सदस्य
13	प्रमुख सचिव	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य
14.	प्रमुख सचिव	पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
15.	सचिव	संस्थागत वित्त विभाग	सदस्य
16	महानिदेशक	दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।	सदस्य
17	निदेशक,	पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।	सदस्य

(2)जिला स्तरीय समिति—

क्रम0 सं0	नाम / पदनाम	विभाग / सम्पर्क सूत्र	समिति में स्तर
1.	जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग	उपाध्यक्ष
3.	जिला पचायत राज अधिकारी	पंचायती राज विभाग	सदस्य सचिव
4.	अपर मुख्य अधिकारी	जिला पंचायत	सदस्य
5.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	शिक्षा विभाग	सदस्य
6.	जिला विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास विभाग	सदस्य

7.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	समाज कल्याण विभाग	सदस्य
8.	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9.	जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी	पिछडा वर्ग कल्याण विभाग	सदस्य
10.	उपनिदेशक, कृषि प्रसार/जिला कृषि अधिकारी	कृषि विभाग	सदस्य
11	जिला सूचना अधिकारी	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	सदस्य

जिला स्तरीय समिति की बैठक में स्थानीय सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष आदि जनप्रतिनिधियों को आमन्त्रित किया जा सकता है।

(3). विकास खण्ड स्तरीय प्रचार समितियां

प्रत्येक खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में प्रत्येक विकास खण्ड में अभियान के प्रचार प्रसार के लिए समितियों का गठन किया जायेगा। जिसमें सहायक विकास अधिकारी स्तर के समस्त विभागों के कर्मी सम्मिलित होगें। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत विकास योजना के स्थानीय रिसोर्स परसन भी सम्मिलित किये जाये।

4–(क) भारत सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारी भी इस अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक जनपद में भ्रमण करते हुए जनपद के किसी ग्राम सभा में रात्रि विश्राम भी करेंगे। उनके स्थानीय भ्रमण व रात्रि निवास आदि की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

(ख) शासन के कार्यकम कार्यान्वयन विभाग के शासनादेश संख्या–807/31–2016–65/2013–टी0सी0 दिनांक 28 मार्च, 2016 द्वारा शासन की प्राथमिकताओं एवं विकास कार्यकमों के उच्च स्तरीय अनुश्रवण के लिये नामित जनपद के नोडल अधिकारी भी अपने लिये आवंटित जनपदों में इस अभियान के दौरान भ्रमण कर कार्यकम का सफल कियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

5–माननीय प्रधान मंत्री जी के संदेश को ग्राम पंचायतों द्वारा सुना जाना

मा0 प्रधानमंत्री जी 24 अप्रैल, 2016 को सभी ग्राम सभाओं को सम्बोधित करेंगें जिसका प्रसारण राष्ट्र के सभी ग्रामों मे किया जायेगा। ग्राम पंचायत में उक्त दिवस पर इस प्रकार की व्यवस्थायें (टी0वी0/रेडियो आदि) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों से की जायेंगी ताकि सभी ग्रामवासी प्रधानमंत्री जी के संदेश को देख और सुन सके। यह व्यवस्था ग्राम के प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर ही की जायेगी।

6– प्रत्येक ग्राम सभा तक राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार की समस्त महत्वपूर्ण योजनाओ की जानकारी पहुँचाने के लिए यह आवश्यक है कि सभी विभाग अपनी महत्वपूर्ण योजनाओ के सम्बन्ध में तैयार प्रचार–प्रसार सामग्री (फोल्डर, पॅम्पलेट, लीफलैट आदि) जिलास्तर तक पहुंचाना सुनिश्चित करें जहाँ जिलाधिकारी इस प्रचार–प्रसार सामग्री को विकास खण्ड के माध्यम से ग्राम सभाओं को उपलब्ध करायेगें। जिला स्तर पर भी विभिन्न विभागों की योजनाओं के सम्बन्ध में जो साहित्य/प्रचार–प्रसार सामग्री उपलब्ध है, उसका उपयोग भी ग्राम सभाओं की बैठकों में किया जाए।

अतः अनुरोध है कि ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए अपने जनपद में एक

कार्यक्रम तैयार लें और प्रत्येक गतिविधि को समाहित करते हुए कार्यक्रम की रिपोर्ट भी तैयार कराते हुए राष्ट्रीय पंचायत दिवस को सम्पूर्ण प्रदेश में मनाया जाना सुनिश्चित करें। आयोजित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट (चित्रों सहित) पंचायतीराज निदेशालय के ई–मेल (up.panchaytiraj@gmail.com, panchraj@nic.in) पर भी भेजें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– /33–3/2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. श्री एस0एम0 विजयानंद, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. मुख्य स्टॉफ अधिकारी, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. स्थानीय/अपर स्थानीय आयुक्त, उ0प्र0 नई दिल्ली।
7. आयुक्त/निदेशक, उ0प्र0 कानपुर नगर/श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आई.डी.सी., कानपुर।
9. सदस्य राजस्व परिषद, उ0प्र0।
10. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
11. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
12. आयुक्त एवं निदेशक, हथकर्घा एवं वस्त्र उद्योग कानपुर।
13. आयुक्त, ग्राम्य विकास/परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, मिड–डे मील योजना, उ0प्र0 लखनऊ।
15. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 भूमि सुधार निगम, लखनऊ।
16. आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
17. प्रबन्ध निदेशक, राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उ0प्र0।
18. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
19. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
20. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
21. समस्त मंडलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
22. समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।